फर्द अहकाम

विमला बनाम छोटीलाल

56/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/10/24	पत्रावली पेश हो। वकील उभयपक्ष। उप अभियोजन को बहस तर्क सुनी गई। बहस तर्क वकील प्रार्थी दिनांक 10/10/24 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
10/10/24	पत्रावली पेश हो। वकील उभयपक्ष उप० प्रार्थी के बहस हेतु अवसर चाहा। बहस के बहस वकील प्रार्थी दिनांक 16/10/24 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
16/10/2024	पत्रावली पेश हो। वकील उभयपक्ष। उप० बहस अन्तिम निपेधाज्ञा उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। बहस वकील उभयपक्ष व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार निपेधाज्ञा आवेदन पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फाईल समाप्त होकर दर्ज रजिस्टर की जावे।	
	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:26:59 IST
Reason: SelfAttested